भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *477

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदियों को परस्पर जोड़े जाने से संबंधित परियोजना

***477. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नदियों को परस्पर जोड़े जाने से संबंधित कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाने के लिए कोई कार्य किया है कि ऐसी किसी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान किस स्तर पर विस्थापन होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'नदियों को परस्पर जोड़े जाने से संबंधित परियोजना' के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *477 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भारत सरकार ने वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी और एनपीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) का काम सौंपा गया है। एनपीपी के अंतर्गत, 30 आईएलआर परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 16 लिंक परियोजनाएँ प्रायद्वीपीय घटक के और 14 लिंक परियोजनाएँ हिमालयी घटक के तहत हैं। भारत सरकार ने नदियों को पस्स्पर जोड़ने की परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एनपीपी के अंतर्गत इन 30 आईएलआर परियोजनाओं में से, 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), 26 लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और सभी 30 लिंक परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी की जा चुकी है। पांच परियोजनाओं को ''प्राथमिकता लिंक परियोजनाओं'' के रूप में चिन्हित किया गया है, अर्थात; केन-बेतवा लिंक परियोजना, गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना (जिसमें 3 लिंक शामिल हैं) और संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (संशोधित पीकेसी) लिंक परियोजना। केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) पहली आईएलआर परियोजना है, जिसका कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। एनपीपी के तहत आईएलआर परियोजनाओं का विवरण और स्थिति **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) से (घ): आईएलआर परियोजनाएँ जल के अंतरण से संबंधित परियोजनाएँ हैं और अन्य जल संसाधन परियोजनाओं की तरह इन परियोजनाओं में भी इससे प्रभावित लोगों के विस्थापन की समस्या और उनके पुनर्वास एवं पुनःस्र्थापन (आर एवं आर) से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों के प्रभावी समाधान के लिए इन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करते समय इनके सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के साथ-साथ संबंधित लिंक परियोजनाओं के कारण संभावित विस्थापन का भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। डीपीआर में सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण और आर एवं आर योजना के साथ साथ जलमग्न क्षेत्र, परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या, आवश्यक भूमि अधिग्रहण, लागत और भूमि मुआवजे तथा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनःस्र्थापन से संबंधित समस्त जानकारी दी जाती है। परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास एवं पुनःस्र्थापन तथा आईएलआर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य संबंधित पक्षकार राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

केबीएलपी की एकमात्र चालू आईएलआर परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण और परियोजना के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की गई है। इस समिति में केंद्र और राज्य स्तरीय विभिन्न हितधारी विभाग शामिल हैं।

****

अनुलग्नक

'नदियों को परस्पर जोड़े जाने से संबंधित परियोजना' के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *477 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

एनपीपी के तहत आईएलआर परियोजनाओं का विवरण और मौजूदा स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	एफआर पूर्ण
	ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक@	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूर्ण
8	क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुद्दुचेरी	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुद्दुचेरी	डीपीआर पूर्ण
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिल नाडु	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्बती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और	एफआर पूर्ण

		राजस्थान	
	ख) संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	एमपी और राजस्थान	मसौदा पीएफआर पूर्ण
11	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश (यूपी) और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूर्ण
15	बेदती - वरदा लिंक @@	कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण
16	नेत्रवती - हेमवती लिंक**	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को डायवर्ट करने के लिए एक वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

** कर्नाटक सरकार द्वारा येत्तिनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से आगे कोई अध्ययन नहीं किया गया है, इस लिंक के माध्यम से मोड़ने के लिए नेत्रवती बेसिन में कोई अधिशेष जल उपलब्ध नहीं है।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक - इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

@@ बेदती - वरदा लिंक - डीपीआर को इसके पीएफआर की तैयारी के बाद सीधे तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

हिमालयी घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य/देश	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण
3.	गंडक - गंगा लिंक	यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण
4.	घाघरा-यमुना लिंक	यूपी और नेपाल	मसौदा एफआर पूर्ण
5.	सारदा-यमुना लिंक	यूपी और उत्तराखंड	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण
8.	चुनर-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	मसौदा एफआर पूर्ण
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	मसौदा एफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) और बिहार	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण

*****